"सरला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान"

का

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :- "सरला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान"
2. प्रधान कार्यालय :- इस संस्था का प्रधान कार्यालय- आर्य समाज चौक, जिला- मोतिहारी (बिहार) में रहेगा ।
   आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्त्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।
3. कार्यत्रेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।
4. उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :-

1. शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा विभिन्न तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन, आवासीय विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, पठन–पाठन कक्ष, छात्रावास, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना तथा गरीब असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना ।
2. समाज के सभी वर्गो के गरीब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, टीकाकरण शिविर एवं अन्य स्वास्थ्य शिविर एवं स्वास्थ्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना । असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0 कालाजार हेपटाईटिस आदि से बचने हेतु अवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना ।
3. संस्था द्वारा लोगों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु आयुर्वेदिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोपैथिक चिकित्सा के द्वारा अधिक से अधिक मदद पहुँचाना तथा विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार–प्रसार एवं प्रशिक्षण करना ।
4. समाज में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना । विभिन्न स्तरों की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना । मेघावी, गरीब, छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना ।
5. बाल–श्रमिक, महिला श्रमिक एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके लिए शिक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना । विकलांगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करना ।
6. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना ।

Chairman
Sarla Brahma Bal Vidya Mandi.
Rulahi, Motihari

Principal
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari
Aff. No.-330681; Sch No.-65679

7. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र का संचालन करना ।
8. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुडिया निर्माण एवं अन्य व्सवसायिक प्रशिक्षण सौन्दर्य एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देना ।
9. शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य तकनीकी विकास शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना ।
10. लोगों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना ।
11. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यो का सम्पादन करना ।
12. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।
13. आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना । राहत कार्यो में सहयोग करना ।
14. समाज में व्याप्त कुरितियॉ जैसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा, नाशाखोरी, आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना । आदर्श विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना ।
15. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकूप, तालाब आदि उपलब्ध कराना । औषधि पौधों एवं नगदी पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।
16. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना ।
17. देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना कार्यक्रमों का संचालन करना । उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, वयस्क मताधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना ।

Chairman
Sarla Brahma Bal Vidya Mandi.
Rulahi, Motihari

Principal
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari
Aff. No.-330681; Sch No.-65679

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/ पति का नाम, पता, जीविका के साधन, एवं पद नीचे दिया गया है । वर्त्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया है ।

क्र0	नाम, पिता/ पति का नाम	पता	जीविका के साधन	पद
1	श्री ब्रह्मानन्द प्रसाद पिता– स्व0 बीरन साह	बाल विद्या मंन्दिर, बैंक रोड मोतिहारी ।	प्राईवेट शिक्षक	अध्यक्ष
2	श्री भूषण कुमार पिता– श्री फणीन्द्र नाथ वर्मा	आर्य समाज चौक, मोतिहारी	प्राईवेट शिक्षक	सचिव
3	श्री दीपक कुमार पिता– श्री विद्यासागर प्रसाद	चावल बाजार रक्सौल ।	व्यवसाय	कोषाध्यक्ष
4	मो0 जमालुद्दीन पिता– अब्दुल वाहिद	सूर्यपुर जीवधारा पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	प्राईवेट शिक्षक	सदस्य
5	श्री राजीव रंजन सिन्हा पिता– श्री देवचन्द्र प्रसाद वर्मा	आर्य समाज चौक, मोतिहारी	प्राईवेट नौकरी	सदस्य
6	श्री प्रशांत समीर पिता– श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह	डा0 संध्या सिन्हा के क्लिनिक के नजदीक, ढाका रोड, मोतिहारी	प्राईवेट शिक्षक	सदस्य
7	श्री नीतेश कुमार पिता– श्री ललन प्रसाद	रमगढ़वा बाजार रमगढ़वा पूर्वी चम्पारण ।	कृषि	सदस्य

Chairman
Sarla Brahma Bal Vidya Mandi
Rulahi, Motihari

Principal
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari
Aff. No.-330681; Sch No.-65679

"सरला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान"

की

नियमावली

1. **संस्था का नाम** – **"सरला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान"**

2. **परिभाषा**

क–	संस्था से अभिप्राय है	–	**"सरला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान"**
ख–	समिति से अभिप्राय है	:–	संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग–	पदाधिकारी से अभिप्राय है	–	अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
घ–	वर्ष से अभिप्राय है	:–	01लीं अप्रील से 31 मार्च तक ।
ड–	एक्ट से अभिप्राय है	:–	सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860

3. **सदस्यता**

कोई भी महिला एवं पुरूष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक के होंगे तथा जो संस्था के उद्देश्य एवं नियमों का पालन करेंगे, संस्था का सदस्य बन सकते है । सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जाएगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/– रू0 प्रवेश शुल्क एवं 151/– रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।

4. **सदस्यता से विमुक्ति :–**

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।

क– स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
ख– पागल या मृत्यु होने पर ।
ग– न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
घ– सदस्यता शुल्क लगातार तीन वर्ष तक नहीं देने पर ।
ड– लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।
च– समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।

5. **कार्यकारिणी समिति का गठन :–**

क– कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 07(सात) सदस्य होंगे ।
ख– कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।
ग– कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पॉच वर्षो की होगी । निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।
घ– अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो शेष अवधि के लिए उक्त पद पर किसी सदस्य की मनोनित कर सकती है किन्तु वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे ।

Chairman
Sarla Brahma Bal Vidya Mandi.
Rulahi, Motihari

Principal
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari
Aff. No.-330681; Sch No.-65679

6. **पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-**

अध्यक्ष

क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

ग- पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ड- संस्था के निधि का अंकेक्षण कराना ।

च- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

छ- कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।

ज- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख- संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

ग- संस्था के क़ोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

घ- आवश्यकतानुसार अपने पास 1000/- रू0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।

7. **कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-**

क- संस्था के चल एवं अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

ख- संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।

ग- शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।

घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

Chairman
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari

Principal
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari
Aff. No.-330681; Sch No.-65679

8. **आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-**

क- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।

ग- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

घ- अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

9. **बैठक :-**

क- कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

ख- आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

ग- कार्यकारिणी समिति एवं आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

10. **बैठक की सूचना :-**

क- आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ख- आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ग- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

घ- कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ड- बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।

11. **प्रार्थित बैठक**

एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते है ।

12.. **कोरम (गणपूर्ति)**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्कता नहीं होगी ।

13. **आय का श्रोत :-**

क- सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।

ख- सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान, सहायता ।

ग- प्रशिक्षण के दौरान संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बिक्री से ।

14. **निधि का अंकेक्षण :-**

क- संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा ।

ख- निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

Chairman
Sarla Brahma Bal Vidya Mandi.
Rulahi, Motihari

Principal
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari
Aff. No.-330681; Sch No.-65679

15. **कोष का संचालन :-**

संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

16. **पंजी का निरीक्षण :-**

संस्था का सभी पंजियॉ निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहॉ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

17. **नियमावली में संशोधन :-**

नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

18. **कानूनी कार्रवाई –**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति के सलाह से की जायेगी ।

19. **विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था :--**

क– संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा– 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

ख– आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।

ग– विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समाज उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

....

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

Brahmanand Prasad
अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

Chairman
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari

Principal
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari
Aff. No.-330681; Sch No.-65679

पत्र संख्या बी0एस0-3-10-1685/08 - 3610

निबंधन महानिरीक्षक बिहार का कार्यालय

बिहार,पटना।

(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

सरला देवी मेमोरियल सेवा
संस्थान
.... के संबंध में ।

पटना,दिनांक 11/9/08

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21/1860 के उपबंधों के अनुसार आज यथावत दाखिल/निबंधित/अभिलिखित किया गया किये गये ।

फीस का ज्ञाप-50 (पचास रूपये केवल)

संस्था का स्मृति पत्र/नियमावली एवं आम सभा के प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

10.9.08

वास्ते महानिरीक्षक निबंधन
बिहार,पटना।

सचिव, सरला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान
आर्य समाज चौक, जिला - मोतिहारी
(बिहार)

को सेवा में उनके पत्र संख्या शून्य दिनांक 11.3.08 के प्रसंग में अग्रसारित ।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है प्राप्ति की सूचना दें ।

10.9.08

वास्ते महानिरीक्षक निबंधन
बिहार,पटना।

Chairman
Sarla Brahma Bal Vidya Mandi.
Rulahi, Motihari

Principal
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari
Aff. No.-330681; Sch No.-65679

№ 010258

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 1138

वर्ष 2008-09

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "सरला देवी मेमोरियल सेवा संस्थान", आर्य समाज चौक, जिला - मोतिहारी (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख 08 मास सितम्बर वर्ष दो हजार आठ को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन [illegible] मात्र संस्था का निबंधन [illegible] संस्था के वास्तव [illegible] होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता की प्राप्ति हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए।

महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

बि० स० मु० (निबन्धन) 1 —II—10,000—23-9-2004—पी० एन० सिंह

Chairman
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari

Principal
Sarla Brahma Bal Vidya Mandir
Rulahi, Motihari
Aff. No.-330681; Sch No.-65679